Advocate Ekta Mishra
National Joint Secretary
General Cell

Ph +91 92051-09288
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)
ALL HUMANS DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NJS/102 **DATE: 23 OCTOBER 2025**

सेवा में,
श्री मोहन यादव जी,
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन,
मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल)मप्र)
पत्राचार माध्यम – ईमेल / पोर्टल

NATIONAL OFFICE: HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC), FLAT NO 203, PLOT NO 77, PIPAL CHOWK, MOHAN GARDEN, NEW DELHI PIN CODE - 110059
PH +91 92051 09288

विषय: मध्य प्रदेश में दलित नागरिकों के साथ घटी हाल की हिंसक और अपमानजनक घटनाओं पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल संज्ञान लेने एवं पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

मानवाधिकारों की संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए, हम आपके समक्ष मध्य प्रदेश में हाल ही में दलित समुदाय के साथ घटी तीन गंभीर घटनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटनाएँ न केवल दलित समाज की गरिमा का उल्लंघन हैं बल्कि राज्य की विधि-व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न उठाती हैं।

01 कटनी जिला — दलित युवक पर अवैध खनन का विरोध करने पर मूत्र से अपमान

- **दिनांक:** 13-14 अक्टूबर 2025
- **स्थान:** ग्राम मतवारा, थाना बहोरीबंद क्षेत्र
- **पीड़ित:** श्री राजकुमार चौधरी (दलित)
- **घटना:** अवैध खनन का विरोध करने पर ग्राम सरपंच रामानुज पांडेय एवं परिजनों ने पीड़ित को बेहरमी से पीटा और मूत्र से अपमानित किया।
- **पुलिस संज्ञान:** SC/ST (Prevention of Atrocities) Act के अंतर्गत FIR दर्ज; कुछ आरोपी गिरफ्तार, कुछ फरार।
- **स्थिति:** जांच जारी।
- **मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया / मुआवजा:** अभी तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं।

02 छतरपुर जिला — दलित युवक की गोली मारकर हत्या

- **दिनांक:** 10 जून 2025
- **स्थान:** ग्राम बिलहरी, थाना नौगाँव क्षेत्र
- **पीड़ित:** पंकज प्रजापति (दलित)
- **घटना:** राशन वितरण विवाद में स्थानीय वकील द्वारा गोलीबारी; पीड़ित की मौत।
- **पुलिस संज्ञान:** हत्या व SC/ST Act अंतर्गत केस दर्ज; मुख्य आरोपी गिरफ्तार।
- **स्थिति:** चार्जशीट प्रक्रिया चल रही है।
- **मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया / मुआवजा:** कोई मुआवजा या सार्वजनिक संवेदना प्रकट नहीं।

Advocate Ekta Mishra
National Joint Secretary
General Cell

Ph +91 92051-09288
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)

ALL HUMANS DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

03 छतरपुर जिला — दलित युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में यातना

- **दिनांक:** 20 जुलाई 2025
- **स्थान:** धरमपुरा क्षेत्र, छतरपुर
- **पीड़ित:** प्रताप, श्रीराम, रितु और बालंदी (दलित)
- **घटना:** चार दलित युवकों का आरोप कि पुलिस ने ग़ैरकानूनी हिरासत में रखकर मारपीट की, मिर्च पाउडर डाला, और कबूलनामा लिया।
- **पुलिस संज्ञान:** DIG स्तर की जांच आदेशित; अभी अंतिम रिपोर्ट लंबित।
- **मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया / मुआवजा:** कोई स्पष्ट घोषणा नहीं।

प्रमुख चिंताएँ:

1. तीनों घटनाओं में राज्य के शीर्ष नेतृत्व की अब तक **मौन प्रतिक्रिया** निराशाजनक है।
2. किसी भी पीड़ित को अब तक **मुआवजा**, सुरक्षा, या पुनर्वास नहीं मिला।
3. **SC/ST Act** की धाराओं का लागू होना तो दर्ज है, पर **तेजी से विचारण** नहीं हो रहा।
4. ऐसी घटनाएँ राज्य के सामाजिक ढांचे पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं और कानून की भयमुक्त धारणा को कमज़ोर करती हैं।

माँगें:

1. तीनों घटनाओं की **स्वतंत्र न्यायिक जांच** कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
2. प्रत्येक पीड़ित परिवार को **कम से कम ₹ 5 लाख** का मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए।
3. दोषी अधिकारियों / पुलिसकर्मियों को **सेवा से निलंबित** कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
4. राज्य भर में दलित सुरक्षा और संवेदनशीलता के लिए **विशेष टास्क फोर्स** गठित की जाए।
5. मुख्यमंत्री स्वयं जनहित में इन घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करें और भविष्य के लिए कठोर नीति घोषित करें।

मान्यवर,
मध्य प्रदेश हमेशा से समानता और न्याय के मूल्यों का धर्मी राज्य रहा है। कृपया इन घटनाओं को मानव गरिमा की लड़ाई के रूप में देखें और अपने हस्तक्षेप से न्याय की स्थापना करें।

प्रतिलिपि –
1. राज्य मानवाधिकार आयोग, भोपाल (मप्र)
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
4. एचआरपीसी राज्य अध्यक्ष, लीगल सेल (मप्र)

भवदीया,
एडवोकेट, एकता मिश्रा
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, जनरल सेल